पत्रांक सं0–15/डी0एल0ए0 पटना (मीठापुर उपरी पुल)–25/12–...78.../रा0, पटना–15, दिनांक– 11-01-13

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

पटना, तारीख :

सं0 .... रा0 चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–मीठापुर, थाना नं0–19, परगना–अजीमाबाद, थाना–फुलवारी, जिला–पटना में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात मीठापुर रेलवे क्रॉसिंग उपरी पुल निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम–मीठापुर, थाना नं0–19, के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम–वेश 2.72 एकड़ के बराबर होता है और जिसका सर्वे खेसरा संख्या–125 पूर्ण भाग एवं सर्वे खेसरा संख्या–151, 152, 153 एवं 154 सभी अंश भाग जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है –

	सर्वे खेसरा सं0–151	सर्वे खेसरा सं0–152	सर्वे खेसरा सं0–125	सर्वे खेसरा सं0–153	सर्वे खेसरा सं0–154
उत्तर :	खेसरा सं0–177	खेसरा सं0–177 अंश।	खेसरा सं0–03	खेसरा सं0–153 अंश।	खेसरा सं0–153 अंश।
पूरब :	खेसरा सं0–151 अंश।	खेसरा सं0–149 अंश।	खेसरा सं0–126 अंश।	खेसरा सं0–150	खेसरा सं0–150
दक्षिण :	खेसरा सं0–127 अंश	खेसरा सं0–149 अंश	खेसरा सं0–118	खेसरा सं0–154	खेसरा सं0–155
पश्चिम :	खेसरा सं0–149 अंश	खेसरा सं0–152 अंश।	खेसरा सं0–119, 120,121,122,123, 124,	खेसरा सं0–153 अंश	खेसरा सं0–154 अंश।

यह अधिसूचना, अधिनियम 1, 1894 की धारा 4 के उपबंधों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 द्वारा संशोधित हुआ है उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा भू–अर्जन पदाधिकारी पटना के कार्यालय में देखा जा सकेगा। बिहार सरकार जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबद्ध प्रारम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमण्डल, पथ निर्माण विभाग, पटना के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निश्चय किया है कि परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा (5A) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

समाहर्ता,
पटना।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/

सरकार के अप0 सचिव

कृ0 पृ0 उ0

ज्ञां0 सं0–15/डी0एल0ए0 पटना (मीठापुर उपरी पुल)–25/12–.....78...../रा0, पटना–15, दिनांक– 11-01-13

प्रतिलिपि :–

1. तीन अतिरिक्त प्रतियों सी0डी0 के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना के दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं प्रकाशित संस्करण का जिला भूमि अर्जन कार्यालय, पटना एवं इस विभाग को प्रेषित हेतु।
2. उप समाहर्त्ता प्रभारी, सामान्य शाखा, पटना को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट को जिला भू–अर्जन कार्यालय, पटना को दस प्रतियों में भेजने के लिये।
3. समाहर्त्ता/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/1/13

सरकार के अवर सचिव।